

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 21/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/100

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट :-
गोपाराम उर्फ उम्मेदराम पुत्र स्व. डावरराम जाति सिरवी निवासी बेरा नवोडा ठिकाना Bagalur village and Post jala Hobli Bangalore North 562149		<ol style="list-style-type: none"> तेजाराम पुत्र स्व. घीसाराम लालाराम पुत्र स्व. डावरराम चन्द्राराम पुत्र स्व. डावरराम हुलकी पत्नी स्व. डावरराम जातिगण सिरवी निवासी बेरा नवोडा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
- रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदराम सांखला।
- रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

-: निर्णय :-

दिनांक:- 5.6.2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम चण्डावल भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल के नामान्तरकरण संख्या 1518 दिनांक 24.12.2004 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल, तहसील सोजत जिला पाली में खसरा नम्बर 305, 306, 892, 893 व 909 कुल रकबा 8.7900 हैक्टर भूमि सह खातेदारी में स्थित है। जिसमें 1/4 हिस्से के सह खातेदार अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के दादा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के ससुर घीसाराम वल्द सादुलजी सिरवी थे। घीसाराम पुत्र सादुल का स्वर्गवास होने के पश्चात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत घीसाराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 01, डावरराम के पुत्र अपीलार्थी, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 एवं 03 है तथा डावरराम की धर्मपत्नी हुलकी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 है। उपरोक्त के अलावा कोई ओर घीसाराम एवं डावरराम के विधिक वारिसान नही है। अपीलार्थी लम्बे समय से व्यापार के सिलसिले से



Luhr
अति. जिला कलेक्टर. पाली

अपने परिवार सहित बैंगलोर में निवास करता है। जैर अपील नामान्तरकरण घीसाराम एवं उसके पुत्र डावरराम के फौत हो जाने के कारण राजस्व केम्प 2004 को भरा गया। राजस्व अधिकारियों को फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय घीसाराम एवं डावरराम के विधिक वारिसानों की जांच करते हुए दस्तावेज एवं साक्ष्य सबुतो के आधार पर भरा जाना चाहिए था। लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय राजस्व अधिकारियों द्वारा वारिसानो एवं दस्तावेजो की जांच किये बिना आनन फानन में जैर नामान्तरकरण जारी कर दिया। जैर अपील नामान्तरकरण जारी करते समय अपीलार्थी का नाम गोपाराम के स्थान पर घर-परिवार में आमबोल चाल में संबोधित करने वाला नाम "उम्मेदराम" के नाम से भर दिया। अपीलार्थी जैर नामान्तरकरण जारी करते समय बैंगलोर में अपने व्यापार के सिलसिले से निवास कर रहा था। व्यापार की व्यस्थता के कारण गावं में आना जाना नही होने के कारण अपीलाण्ट को सुने बगैर एवं दस्तावेजो की जांच किये बगैर गोपाराम पुत्र डावरराम के स्थान पर उम्मेदराम पुत्र डावरराम दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, टी.सी., राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम उम्मेदराम पुत्र डावरराम न होकर गोपाराम पुत्र डावरराम अंकित है। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को जब भुमि विकास बैंक से लोन लेने की आवश्यकता हुयी तो अपीलाण्ट ने दिनांक 24.02.2021 को जैर नामान्तरकरण से संबधित पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल हेतु आवेदन करने पर प्राप्त जमाबंदी में गोपाराम पुत्र डावरराम के स्थान पर उम्मेदराम पुत्र डावरराम अंकित था जिस पर अपीलाण्ट ने जैर अपील प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का एवं अन्य राजस्व कार्मिकों ने उक्त नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व न तो कोई जांच की, न ही डावरराम के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस दिया एवं न ही उनको सुनवाई का अवसर दिया। जबकि कोई नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व संबधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान दिए हुए है। जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्टगण ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज उम्मेदराम पुत्र डावरराम और गोपाराम पुत्र डावरराम एक ही व्यक्ति है। जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उम्मेदराम पुत्र डावरराम की जगह गोपाराम पुत्र डावरराम किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है तथा वे इस संबंध में सहमत है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 2004 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट का नाम उम्मेदराम पुत्र डावरराम न होकर गोपाराम पुत्र डावरराम है, लेकिन घर परिवार में उन्हे उम्मेदराम के नाम से संबोधित किया जाता है परन्तु अपीलाण्ट के समस्त सरकारी दस्तावेजो यथा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, टी.सी., राशनकार्ड आदि गोपाराम पुत्र

Lucho



A413

डावरराम के नाम से है। इसकी तार्इद में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाईसेंस, टी.सी. राशनकार्ड, आधार कार्ड की सत्य प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट का नाम वास्तविक नाम गोपाराम पुत्र डावरराम है।

अधिवक्ता रेस्पोजेण्टगण ने भी जैर अपील नामान्तरकरण में दर्ज उम्मेदराम पुत्र डावरराम और गोपाराम पुत्र डावरराम को एक ही व्यक्ति बताया है तथा इस पर भी सहमति जतायी है कि यदि जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उम्मेदराम पुत्र डावरराम की जगह गोपाराम पुत्र डावरराम किया जाता है तो उन्हें को आपत्ति नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट गोपाराम पुत्र डावरराम एवं उम्मेदराम पुत्र डावरराम एक ही व्यक्ति है।

नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम चण्डावल, पटवार हल्का चण्डावल के नामान्तरकरण संख्या 1518 दिनांक 24.12.2004 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक घीसाराम एवं डावरराम के विधिक वारिसान एवं दस्तावेजों की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



Luks

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर. पाली

निर्णय आज दिनांक 5/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luks

(डॉ. राजेश गोयल)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर. पाली